न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 04/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00009

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री फुलपुरी पुत्र श्री रामपुरी जाति गोस्वामी निवासी शिवतलाव तहसील बाली		1. श्री मोहनलाल पुत्र श्री जोधाजी जाति प्रजापत निवासी डूंगली तहसील बाली 2. ग्राम पंचायत शिवतलाव जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेर सिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

–: निर्णय :–

दिनांक : 19-12-2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत शिवतलाव के संकल्प संख्या 3 दिनांक 07.06.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 07.06.2013 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत शिवतलाव ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 07.06.2013 की पालना में जारी विक्रय विलेख 12 दिनांक 07.06.2013 नियम विरूद्ध जारी किया है, जिसे निरस्त किया जाए। ग्राम डूंगली के खसरा नम्बर 442 रकबा 1.21 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि पंचायत विभाग के नाम कृषि भूमि स्थित है एवं खसरा नंबर 442/1 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत शिवतलाव के नाम से गैर मुमकीन भवन के रूप में राजकीय रेकर्ड में जमाबंदी में दर्ज है। इस प्रकार खसरा नंबर 442 रकबा 1.21 हैक्टेयर आबादी भूमि नहीं है। उपरोक्त सामुदायिक भवन जो कि सार्वजनिक सम्पति है, उसे हडप करने के लिए तथा उक्त खसरा नंबर 442/1 के चिपती खसरा नंबर 442 की बारानी दोयम भूमि को हड़प करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिली भगत करते हुए नियम विरूद्ध पट्टा अपने नाम जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 12 जारी करने हेतु जिस प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 07.06.2013 जिसका उल्लेख अप्रार्थी के विक्रय विलेख में है, उस दिवस ग्राम पंचायत में कोई बैठक आयोजित ही नहीं की गई तथा न ही कोई प्रस्ताव लिया गया है, जो ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को उक्त विक्रय विलेख राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख अप्रार्थी को कुल 8590.5 वर्गफीट भूमि का जारी किया गया है, जबकि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 में स्पष्ट अंकन है कि पंचायत गांव की आबादियों में 150 वर्ग गज भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी करने में नियमों की पालना नहीं की है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी विक्रय विलेख जारी करते समय पंचायत नियमों की पालना किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत शिवतलाव ने पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर पंचायत नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी भूमि ग्राम पंचायत शिवतलाव कि भुमि है, जिस पर ग्राम पंचायत शिवतलाव को पट्टा जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थी एक कमजोर तबके का व्यक्ति है, इसलिए ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को रियायती दर पर जैर निगरानी विक्रय विलेख जारी किया है। ग्राम पंचायत जैर निगरानी

अति. जिला कलक्टर, पाली

विक्रय विलेख जारी करने में किसी भी प्रकार से पंचातय राज के नियमों की अवहेलना नहीं की है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को निरस्त फरमाया जावे तथा जैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) आरएलडब्ल्यू (आरजे) पेज 177, आरएलडब्ल्यू (राज) 2002(4) पेज 2284 तथा 2015(4) डीएनजे पेज 1853 पेश किये।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत शिवतलाव ने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 07.06.2013 की पालना में विक्रय विलेख संख्या 12 नियम 158 के तहत जारी किया गया है। उक्त विक्रय विलेख कुल 8590.5 वर्गफीट के लिए जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन किया गया, जिसमें दिनांक 07.06.2013 को कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के संबंध में उल्लेख है, जिसमें 158(1) में उल्लेख किया गया है कि पंचायत, गांव आबादियों में 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित व्यक्तियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तो को भी जिनमें गृह–स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी लेकिन ग्राम पंचायत ने नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 8590.5 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो 150 वर्ग गज से अधिक है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 12 जारी करने में नियमों की पालना नही की है, जो किया जाना आज्ञापक है। अतः समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 12 को यथावत रखा जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा संकल्प संख्या 3 दिनांक 07.06.2013 की पालना में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 07.06.2013 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली